न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 67/2021 अपील (राजस्व)

GCMS No. 2021/70

श्रीमती भगवती कंवर पुत्री श्री बहादुरसिंह उर्फ बादरीगं, पत्नी नैनसिंह निवासीः ग्राम जूड, उप–तहसील–कुराबड, तहसील–गिर्वा, उदयपुर हाल पताः पुरोहितों का बास, ग्राम खैरवा, पुलिस चौकी के सामने, खैरवा, तहसील व जिला पाली, राज.

—— अपीलान्ट

बनाम

1. रामसिंह पुत्र बहादुर सिंह उर्फ बादरीगं निवासीः अम्बा तलाब व विद्यालय के सामने, ग्राम–जूड, उप–तहसील कुराबड़, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
2. कैलाश बाई पुत्री देवीसिंह पत्नी मदनसिंह निवासीः ग्राम–जूड, उप–तहसील कुराबड़, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
3. प्यारी बाई पुत्र किशनसिंह उर्फ किशना पत्नी पीरसिंह निवासीः ग्राम गुडा एन्दला, तहसील–रानी, जिला–पाली, राज.
4. राज्य सरकार जरिये उपतहसीलदार कुराबड़, तहसील गिर्वा, उदयपुर

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 154 दिनांक 19.12.2001 उप–तहसीलदार कुराबड़ उदयपुर राजस्थान

उपस्थित : श्री श्याम पंचारिया, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री रामसिंह, विपक्षी संख्या 1 स्वयं

निर्णय

दिनांकः– 13/05/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जूड, पटवार हल्का कुराबड़ के खसरा नंबर 711/1037 रकबा 0.2700 हैक्टेयर व खसरा नंबर 783 रकबा 0.2900 हैक्टेयर कुल रकबा 0.5600 हैक्टेयर भूमि जो अपीलाण्ट के पिता बादरीगं पिसरान किशना व देवीसिंह पिसरान किशना के बहिस्सा बराबर भूमि आई थी। अपीलाण्ट के पिता बादरीगं उर्फ बहादुरसिंह पुत्र किशना उर्फ किशनसिंह का स्वर्गवास दिनांक 01.01.1997 को हो गया। जिनके वारिसान कमलाकंवर(फौत) पत्नी, भगवतसिंह(फौत), रामसिंह पुत्र, पारसकुंवर, भगवती कंवर व दुर्गाकंवर पुत्री

जिला कलक्टर
उदयपुर

है। उक्त वारिसान में से अपीलाण्ट की माता कमला का दिनांक 02.04.1998 को तथा भगवतसिंह भाई का स्वर्गवास दिनांक 02.05.2008 को हो गया, बाकी उनके तीनों पुत्रियां व पुत्र जीवित है, जो उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। अपीलाण्ट के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् उनकी खातेदारी कृषि भूमि में फौतेदगी का नामांतरकरण संख्या 154 भरा गया। उक्त नामांतरकरण में ग्राम पंचायत के सजरा प्रमाणिकरण अनुसार नामांतरकरण खोले जाने का इन्द्राज दिनांक 19.12.2001 को प्रशासन गांवों के संग 2001 में किया गया। उक्त नामांतरकरण के साथ ग्राम पंचायत का कोई सजरा संलग्न नहीं है। पटवारी हल्का की प्रविष्टि के पश्चात् भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा बादरींग पुत्र किशना के उत्तराधिकारी जायन्दा पुत्र–पुत्रियों पत्नी के बारे में कोई जांच नहीं की तथा बिना जांच किये उक्त नामांतरकरण में यह इन्द्राज किया गया कि जमाबन्दी में सजरा प्रमाणित अनुसार अंकन ही कई बेरूम मयाद में है। भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपीलाण्ट के पिता के विधिक वारिसान पत्नी, पुत्र व पुत्रियों की बिना जांच किये एवं ग्राम पंचायत के सजरे को अंतिम सत्य मानकर, उक्त नामांतरकरण पूर्व नियोजित तरीके से नामांतरकरण के कॉलम संख्या 9 में हल्का पटवारी द्वारा दर्ज प्रविष्टि अनुसार उप–तहसीलदार कुराबड़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उप–तहसीलदार कुराबड़ ने भी स्वर्गीय बादरीगं पुत्र किशना कौम राजपुत के जायन्दा प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी पत्नी, पुत्र व पुत्रियों की बिना जांच व साक्ष्य लिये नामांतरकरण दिनांक 19.12.2001 को पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कॉलम नंबर 9 व 14 में दर्ज प्रविष्टियां अनुसार स्वीकृत कर दिया गया है जबकि स्व. बादरीगं पुत्र किशना के अन्य विधिक उत्तराधिकारी पुत्रियां उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त नामांतरकरण में दर्ज कृषि भूमि अपीलाण्ट के पिता की अर्जित सम्पति है। उनके देहावसान के पश्चात् उनकी पुत्री अपीलाण्ट एवं अन्य उक्त भूमि पर काश्त करते व अन्यों से करवाते है तथा अपीलाण्ट को उसकी हिस्से की भूमि का हासल देते है। अपीलाण्ट की जीविकोपार्जन हेतु कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई आय का स्त्रोत नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 1 अपीलाण्ट का सगा भाई होने से एवं पूर्व में सयुंक्त परिवार के साथ निवास करने से उस पर संदेह किया जाना व राजस्व रेकर्ड में हेरा फेरी करने के संबंध में अविश्वास किये जाने का कभी संदेह नहीं था तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 स्वभाव से भोला है एवं अविवाहित है तथा अपीलाण्ट का भाई भगवतसिंह भी अविवाहित था, जो अक्सर मजदूरी हेतु बाहर रहते है जबकि अन्य रेस्पोडेंट ने राजस्व कर्मचारियों व ग्राम पंचायत से मिलावट कर उक्त भूमि अपने नाम षडयन्त्र पूर्व दर्ज करवा दी। जबकि रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 बादरीगं पुत्र किशना की जायन्दा संतान नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 2 कैलाश बाई पुत्री [illegible]सिंह पुत्र किशना उर्फ किशनसिंह व रेस्पोडेंट संख्या 3 प्यारी बाई पुत्री किशना [illegible] किशनसिंह की जायन्दा संताने है। उक्त दोनो रेस्पोडेंट स्व. अपीलाण्ट के पिता बादरीगं पुत्र किशना की कोई जायन्दा संतान नहीं थी, न ही उनकी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। विधिक प्रावधानों के विरूद्ध एवं ग्राम पंचायत का कोई

जिला कलक्टर
उदयपुर

सजरा नहीं होते हुये तत्कालीन हल्का पटवारी, भू.अ. निरिक्षक व उपतहसीलदार सभी ने रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 से षडयन्त्र कर विधि विरूद्ध तरीके से नामांतरकरण स्वीकृत किया। रेस्पोडेंट ने उक्त भूमि को हड़प करने की नियत से तथा अपीलाण्ट को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित करने की नियत से अकेले अपने नाम का नामांतरकरण दर्ज कराने की कार्यवाही षड़यन्त्र पूर्वक की। उक्त अपीलाधीन नामांतरकरण मृतक अपीलाण्ट के पिता बादरीगं पुत्र किशना के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को राजस्व कर्मचारियों व रेस्पोडेंट ने आपसी मेल मिलावट कर उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित करते हुए उक्त अपीलाधीन नामांतरकरण अपने नाम पर पारित करवाया, जो नामांतरकरण विधिक वारिसान को अपने प्राप्त होने वाले विधिक अधिकारों व खातेदारी अधिकारों से वंचित करते हुए उक्त अपीलाधीन नामांतरकरण पारित करवाया, उक्त नामांतरकरण प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 व 3 अनुपस्थित, जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

उपस्थित अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम जूड, पटवार हल्का कुराबड़ के खसरा नंबर 711/1037 रकबा 0.2700 हैक्टेयर व खसरा नंबर 783 रकबा 0.2900 हैक्टेयर कुल रकबा 0.5600 हैक्टेयर भूमि जो अपीलाण्ट के पिता बादरीगं पिसरान किशना व देवीसिंह पिसरान किशना के बहिस्सा बराबर भूमि आई थी। अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात् उपतहसीलदार ने अपीलाधीन नामांतरकरण पारित करने से पूर्व स्व. बादरीगं पुत्र किशना के विधिक वारिसान बाबत कोई जांच नहीं कर वारिसान को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाकर स्व. बादरिगं के विधिक अन्य वारिसान का बिना किसी कारण के नाम दर्ज किया जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध उक्त नामांतरकरण पारित किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 अपीलाण्ट के स्व. पिता बादरीगं की जायन्दा पुत्रिया नहीं है, जिन्हें षडयन्त्र पूर्वक राजस्व कर्मियों द्वारा विधि विरूद्ध दर्ज कर उक्त अपीलाधीन नामांतरकरण पारित किया गया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के प्रावधानों के विरूद्ध होने तथा अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट स्व. बादरीगं पुत्र किशना के प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी हाने व धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से उनके प्राप्त होने वाले अधिकारों के विरूद्ध एवं उन्हें उक्त नामांतरकरण की कार्यवाही व प्रक्रिया से वंचित करते हुए अधीनस्थ उप तहसीलदार व राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। नामांतरकरण की प्रक्रिया समरी प्रक्रिया है जिसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी मृतक के विधिक वारिसान व वैधानिक उत्तराधिकारियों के संबंध में जांच नहीं हो तथा वैधानिक

जिला कलक्टर
उदयपुर

उत्तराधिकारियों को छोड़ दे। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने अपनी वल्दीयत छुपाकर एवं राजस्व अधिकारियों से षडयन्त्र कर एवं अपीलाण्ट के हक हिस्से की भूमि को हड़पने हेतु फर्जी व कूटरचित तरीके से अपने नाम का नामांतरकरण दर्ज करवाया एवं अपने नाम के फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाये तथा फर्जी बनाये गये दस्तावेज को असली के रूप में प्रयोग में लिया जो उक्त दोनो का गंभीर आपराधिक कृत्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ उप तहसीलदार कुराबड़ द्वारा ग्राम जूड के नामांतरकरण संख्या 154 दिनांक 19.12.2001 को पारित किया उसे निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ उप तहसीलदार को इन निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमावें कि स्व. बादरीगं पुत्र किशना के जीवन में उत्पन्न उनके विधिक वारिसान पुत्र व पुत्रियों की बाद जांच व साक्ष्य लेकर उनके नाम नामांतरकरण में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों की ताईद में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गयेः—

1. 2002(2) आरआरटी पेज 996
2. 2013(2) आरआरटी पेज 1284
3. 2013(2) आरआरटी पेज 766
4. 2012(2) आरआरटी पेज 850
5. 2011(1) आरआरटी पेज 432
6. 1995 आरबीजे पेज 353
7. 2002 आरबीजे पेज 108
8. 2002 आरबीजे पेज 608
9. 1989 आरआरडी पेज 45
10. 1994 आरआरडी पेज 215
11. 1994 आरआरडी पेज 606
12. 2008(2) आरआरटी पेज 1183
13. 1992 आरआडी पेज 173
14. 1992 आरआरडी पेज 117
15. 2002 आरबीजे पेज 398
16. 1993 आरआरडी पेज 411

उपस्थित विपक्षी संख्या 1 ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट रामसिंह के पिता बहादुरसिंह उर्फ बादरिंग के वैवाहिक जीवन में तीन पुत्रियां भगवती कंवर, दुर्गा कंवर व पारस कंवर तथा दो पुत्र रेस्पोडेंट रामसिंह व भगवतसिंह उत्पन्न हुये। रेस्पोडेंट के पिता बादरिंग के स्वर्गवास दिनांक 01.01.1997 के बाद उनकी ग्राम जूड में स्थित कृषि भूमि, पटवार हल्का कुराबड़ के खसरा नांबर 713, 714 व खसरा नंबर 711/1037, 783 एवं खसरा नंबर 712, 715, 732, 733, 734, 735, 745, 746, 747, 754, 755, 762 से 768 तक एवं खसरा नंबर 770 से 772 एवं 777 से 780 तक तथा खसरा नंबर

जिला कलक्टर
उदयपुर

782, 785, 786, 791 कुल खसरा 32 का नामांतरकरण दर्ज कराने हेतु मैंने कोई आवेदन पेश नहीं किया। प्रशासन गांवों के संग अभियान में नामांतरकरण की कार्यवाही में बादरिंग उर्फ बहादुरसिंह पुत्र किशना उर्फ किशनसिंह के वारिसान उनकी तीनों पुत्रियों भगवती कंवर, दुर्गा कंवर, पारस कंवर एवं पुत्र रामसिंह को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं हमारी ओर से कोई आवेदन पेश नहीं होते हुए तीन नामांतरकरण 162, 161, 154 गलत दर्ज किये। नामांतरकरण संख्या 162, 161, 154 में दर्ज कैलाश बाई व प्यारी बाई दोनो मुझ रेस्पोडेंट रामसिंह की सगी बहन नहीं है, ना ही बादरिंग उर्फ बहादुरसिंह पुत्र किशनसिंह की जायन्दा संतान है जिनका नामांतरकरण में गलत नाम दर्ज किया। इस प्रकार नामांतरकरण संख्या 162, 161, 154 तीनों की कार्यवाहियों में मुझ रेस्पोडेंट रामसिंह पुत्र बहादुरसिंह की तीनों सगी बहनों का नाम बिना किसी कारण के छोड़ दिया। नामांतरकरण की कार्यवाही स्व. बहादुरसिंह के वारिसान को बिना तलब किये एवं उनके साक्ष्य लिये बिना तथा उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त नामांतरकरण आनन–फानन में कैलाश बाई व प्यारी बाई को लाभ पहुंचाने की नियत से उनके नाम नामांतरकरण स्वीकार किया गया जो विधि विरूद्ध व साक्ष्य के अभाव में पारित किया गया जो खारिज फरमाया जाकर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावें।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं विपक्षी संख्या 1 की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील का मूल बिन्दु स्व. बादरींग उर्फ बहादुरसिंह के विधिक वारिसान है। अपीलार्थी का कथन है कि स्व. बादरींग उर्फ बहादुरसिंह के विधिक वारिसान कमलाकंवर, भगवतसिंह, रामसिंह, पारसकुंवर, भगवती कुंवर एवं दुर्गाकुंवर है। कमलाकंवर एवं भगवतसिंह की मृत्यु हो जाने से रामसिंह, पारसकुंवर, भगवतीकुंवर एवं दुर्गाकुंवर के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही होनी चाहिए थी किन्तु नामान्तरकरण रामसिंह, भगवतसिंह, कैलाशबाई, प्यारीबाई के नाम स्वीकृत किया गया है। कैलाशबाई व प्यारीबाई के नाम नामान्तरण गलत खुला है। पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 154 दिनांक 19.12.2001 से स्पष्ट है कि स्व. बादरींग उर्फ बहादुरसिंह की मृत्यु पश्चात ग्राम पंचायत के सजरा अनुसार श्री रामसिंह, भगवतसिंह, कैलाशबाई, प्यारीबाई के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना अंकित है किन्तु सजरे की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अपीलार्थी द्वारा स्व. बादरींग उर्फ बहादुरसिंह के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक दस्तावेज/सजरा भी प्रस्तुत नही किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया गया है कि स्व. बादरींग उर्फ बहादुरसिंह के विधिक वारिसान रामसिंह, पारसकुंवर, भगवतीकुंवर एवं दुर्गाकुंवर है। प्रकरण में स्व. बादरींग उर्फ बहादुरसिंह के विधिक वारिसानो की स्थिति स्पष्ट नही है। ऐसी

जिला कलक्टर
उदयपुर

स्थिति में स्व. बादरींग उर्फ बहादुरसिंह के विधिक वारिसानों की जांच की जाना आवश्यक है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार कुराबड़ (तत्कालीन उपतहसीलदार कुराबड़) को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह सभी विधिक वारिसानो की जांच कर विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए यदि आवश्यकता हो तो नियमानुसार नये सिरे से नामांतरकरण पारित करने की कार्यवाही करें।

निर्णय की प्रति उप तहसीलदार कुराबड़ हाल तहसीलदार कुराबड को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर